न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 53/2024

जीसीएमएस सं. 2024/172

अपीलांटः–

दुर्ग सिंह पुत्र श्री काछब सिंह जाति राजपूत निवासी बालेसर दुर्गावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंटः–

तहसीलदार, बालेसर, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 28.09.2022 न्यायालय तहसीलदार, बालेसर द्वारा प्रकरण सं. 10/2021 सरकार बनाम दुर्ग सिंह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह बांवरला व श्री रमेश भादू (अपीलांट की ओर से)

निर्णय **दिनांक 09.12.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार, बालेसर द्वारा प्रकरण सं. 10/2021 (सरकार बनाम दुर्ग सिंह) में पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 13.12.2022 को पेश की गई है।
2. प्रकरण दर्ज कर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया तथा मूल पत्रावली तलब की गई।
3. प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बालेसर दुर्गावता तहसील बालेसर ने तहसीलदार, बालेसर को एक रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि गैर सायल ने ग्राम बालेसर दुर्गावता के ख.नं. 239 रकबा 6 बीघा किस्म गै.मु. पहाड की भूमि पर झोंपडी बनाकर अवैध रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतः अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 की धारा 91

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावे। पटवारी की उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 01.06.2021 को प्रकरण सं. 10/2021 दर्ज किया जाकर, अतिक्रमी गैर सायल को अपना पक्ष व जवाब पेश करने हेतु निर्धारित प्ररूप क (नियम 3) में नोटिस जारी किया गया।

4. अपीलांट/अतिक्रमी ने दिनांक 16.06.2021 को लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि प्रकरण में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है, जिसमें स्थगन आदेश पारित है। अप्रार्थी ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है। अप्रार्थी का सेटलमेंट के समय से पुराना कब्जा है। अतः स्थगन आदेश की पालना की जावे।
5. तहसीलदार, बालेसर ने दिनांक 16.06.2021 से 07.09.2022 तक माननीय सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश की पालना में प्रकरण को लंबित रखा। दिनांक 28.09.2022 को अपीलाधीन आदेश पारित कर, अपीलांट को अतिक्रमित सरकारी भूमि पर से बेदखल करने का आदेश पारित करते हुए जुर्माना भी आरोपित किया है तथा आदेश में यह भी लिखा है कि सिविल न्यायालय में लंबित वाद का निर्णय दिनांक 17.09.2022 को हो चुका है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश कर अभिकथन किया है कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट को दस्तावेज व साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट व अपीलांट के पिता का वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से पुराना पीढियों से बना रहवासीय मकान है, जिसमें अपीलांट निवास करता है। खसरा परिवर्तनशील में ढाणी दर्ज है। भूमि पर पशुओं के बाडे, ट्यूबवेल बने हुए है और विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। अतः न्यायहित में अपीलांट के नाम नियमन का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। अपील को अंदर म्याद मानी जावे।
6. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस अपील पर सुनी गई।
7. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अपीलांट किसान व पशुपालक है। आजीविका का अन्य साधन नहीं है। पशुओं के बाडे बनाकर रखे है। विवादित भूमि भाखर व नाले के बीच आई हुई है तथा ग्रामीण आबादी से भी दूर है। भूमि बेशकीमती नहीं है। पशुपालन के सिवाय उक्त आराजी का उपयोग फिलहाल नहीं हो रहा है। पुराना अतिक्रमण है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अतः पुराने कब्जे का नियमन किया जावे। अतः अपील स्वीकार कर तहसीलदार द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर उस पर भलीभांति मनन किया। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों व कथनों पर गौर किया।

9. अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 पेश किया है। प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को मद्देनजर रखते हुए, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है तथा अपील अंदर म्याद पेश किया जाना सुमार की जाती है तथा प्रकरण का मेरिट पर निस्तार करना यह न्यायालय न्यायोचित समझता है।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बालेसर दुर्गावता की सरकारी भूमि ख.नं. 239 गै.मु. पहाड की 6 बीघा भूमि पर अपीलांट ने संवत् 2078 में झोपडी के रूप में कब्जा किया है, जो बहुत ही बडा क्षेत्र है। 6 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा सिर्फ झोपडी बनाने के लिए ही किया जाना कतई उचित व व्यावहारिक नहीं है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2021 को नोटिस जारी कर अपीलांट को 15 दिन का समय अपना पक्ष व जवाब पेश करने का अवसर दिया गया है, जिसके प्रत्युत्तर में अपीलांट ने दिनांक 16.06.2021 को स्वयं उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया है जो शामिल पत्रावली है, जिसमें कथन किया है कि विवादित भूमि पर वक्त सेटलमेंट से पुराना कब्जा है परंतु लिखित जवाब के समर्थन में किसी प्रकार का सबूत बाबत पुराना कब्जा होने का या मालिकाना हक का पेश नहीं किया है। सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद भी अधीनस्थ न्यायालय के फैसले में अंकित अनुसार निर्णित हो चुका है। अपीलांट ने इस न्यायालय में भी सिविल न्यायालय से अपीलांट के पक्ष में पारित किसी डिकी/आदेश/निर्णय का प्रमाण पेश नहीं किया है तथा न ही भूमि पर पुराना नियमन योग्य कब्जे बाबत कोई प्रमाणिक सबूत पेश किया है तथा न ही मालिकाना हक का दस्तावेज पेश किया है। मात्र मौखिक कथनों के आधार पर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांट को प्रारंभ से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सरकारी भूमि का मालिक नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त अपीलांट स्वयं ने विवादित भूमि का नियमन करने का आदेश देने का अनुतोष मांगा है, जो इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है। सरकारी भूमियों पर पुराने कब्जों का नियमन निर्धारित शर्तों व अर्हताओं के तहत राज्य सरकार अपनी नीति के तहत करती है। अपीलांट सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार नियमन हेतु आवेदन मय दस्तावेजी मान्य सबूतों के करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलांट ने विवादित भूमि पर हक होने का अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है तथा नियमन की मांग करने से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि अपीलांट ने सरकारी भूमि पर बिना वैद्य मालिकाना हक, अधिकार, टाईटल व स्वत्व के अनाधिकृत कब्जा किया है, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानो के अनुसार अवैध होने से बेदखली व जुर्माना आरोपित करने योग्य है तथा अपीलांट का यह कथन बिल्कुल ही झूठा व बेबुनियाद है कि उसे साक्ष्य व सबूत पेश करने का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया, क्योंकि अपीलांट ने इस न्यायालय में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने कथनों के समर्थन में पेश नहीं किया है तथा सरकारी 6 बीघा भूमि पर पडवा व झूंपा बनाकर कब्जा किया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपीलांट ने योजनाबद्ध तरीके से सरकारी 6 बीघा भूमि को हडपने की नियत से अवैध कब्जा किया है, जिसका कोई मालिकाना हक अपीलांट का होने का आधार नहीं है।

11. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 को पारित करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि, अवैधानिकता या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि/गलती नहीं है तथा वह पुष्टि योग्य है।

आदेश

12. परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, बालेसर द्वारा प्रकरण सं. 10/2021 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 की एतद्द्वारा पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाता है।

13. निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तहसीलदार, बालेसर को लौटायी जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

14. प्रकरण में लंबित अन्य प्रार्थना पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।

15. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

12/2025
(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

12/2025
(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर